राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक- 202411243100025 / अ–62 वर्ष 2024–25

1	2	3
04/03/2025	प्रकरण पेश। 2/– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक रामप्रसाद पिता चैतूराम ग्राम साल्हेभाट तहसील गुरूर के द्वारा धारा 240 छ0ग0भू–राजस्व संहिता अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपने भूमिस्वामी हक पर ग्राम मुड़गहन पहनं 31 तहसील गुरूर स्थित भूमि खसरा नंबर 275 रकबा 1.98 हे. में रोपित कुल 190 नग सागवान(सागौन) वृक्षों को कटाई हेतु सूचना एवं स्वघोषणा पत्र के साथ बी–1, खसरा प्रस्तुत किया है। 3/– प्रकरण दर्ज कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में बताया है कि आवेदक के निजी भूमि खसरा नंबर 275 रकबा 1.98 हे. क्षेत्र में लगे 190 नग सागौन में से 108 सागौन वृक्षारोपण क्षेत्र का निरीक्षण कर खड़े वृक्षों का छाती गोलाई का माप जोक कर मूल्यांकन सूची तैयार कर वृक्षों पर मारकिंग क्रमांक अंकित कराया गया है, कुल विभिन्न गोलाई वर्ग के 108 नग = 10.750 घ.मी. वृक्ष पाये गये, जो कटाई योग्य है। मौके का फोटोग्राफ, नजरी नक्शा, तथा पंचनामा तैयार किया गया है, जो संलग्न है। प्रकरण में संलग्न वन परिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र गुरूर के अभिमत मय जांच प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन का परिशीलन किया। वन परिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र गुरूर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक रामप्रसाद पिता चैतूराम ग्राम साल्हेभाट तहसील गुरूर को उसके भूमिस्वामी हक में खसरा नंबर 275 रकबा 1.98 हे. ग्राम मुड़गहन पहनं 31 तहसील गुरूर स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागवान (सागौन) कुल संख्या 190 है। छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2022 धारा 240–241 नियम 8(2) अनुसार भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किये जाने पर उसके खाते में कृषि रूप से रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा किया जा सकेगा। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर छ0ग0 भू–राजस्व संहिता की धारा 240–241 में बने प्रावधानों के तहत कुल 190 नग सागौन में से कुल 108 नग = 10.750 घ.मी. सागौन को काटे पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघन नही हो रहा है, के काटे जाने की अनुमति अभिव्यक्त निम्नांकित शर्तो के अधीन की जाती है– 01. वृक्षों की कटाई वन विभाग व्दारा की जावेगी। 02. वन मण्डलाधिकारी महोदय बालोद, वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के	

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जिला बालोद (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

बैंक खाते में निक्षेपित कराया जाए एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी।

03. जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा।

04. वन विभाग व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएगें।

05. रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय के माध्यम से कलेक्टर महोदय बालोद को दी जाएगी।

06. यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

07. स्वीकृत संख्या से अधिक वृक्षों को न काटा जावे।

08. किसी प्रकार विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आदेश स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।

प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुरूर जिला बालोद (छ.ग.)

प्रतिलिपिः—

01. कलेक्टर जिला बालोद को सादर सूचनार्थ ।

02. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बालोद को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

03. तहसीलदार गुरूर को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

04. वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र गुरूर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

05. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़गहन वि.ख. गुरूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

06. आवेदक श्री रामप्रसाद पैतूराम ग्राम साल्हेभाट तहसील गुरूर को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुरूर जिला बालोद (छ.ग.)